

पत्रावली मुख्यतः ३ भागों में है।
पहले भाग में प्रथम से शेष
विभाग का-युक्त ही प्रार्थना पत्र 212
RTA का मॉडल - ऑपरेटिव नही रहे
अथवा 1 इल। प्रार्थना पत्र 212
विभागाध्यक्ष ही पत्रावली के मालिक
होकर, उन्हें ही भेजने की बात
लक्ष्मी का दायित्व रहता है।


सहायक कलेक्टर
अलवर